न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास- इन्द्राजसिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या - ५५/२०१९

निर्णय दिनांक - 20.12.19

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्योदान जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. सुरेश पुत्र रामनिवास जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—प्रार्थीगण

बनाम

1. संतराम, 2. रणधीर, 3. राजवीर — पुत्रगण मघाराम जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. नारायणी पत्नी मघाराम जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
5. राजस्थान-सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

— अप्रार्थीगण

6. ओमप्रकाश पुत्र श्योदान जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
7. ओमवीर पुत्र सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
8. कमला पत्नी रामनिवास, 9. निर्मला पुत्री रामनिवास — जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
10. भतेरी पत्नी सतवीर उर्फ सत्यवीर जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
11. रामचन्द्र पुत्र श्योदान, 12. सुमित्रा पुत्री रामनिवास, 13. सुषमा पुत्री सतवीर उर्फ सत्यवीर, 14. सोमवीर पुत्र सतवीर उर्फ सत्यवीर — जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— गौण प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा २१२ आर.टी. एक्ट बरूये हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

-2-

उपस्थित :-

1. श्री मनोज पचार अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. " बलवीर सिंह जांगिड़ अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act का विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 566 तादादी 0.0100 हे० ख० न० 567 तादादी 0.0100 हे० ख.न. 568 तादादी 4.00 हे० ख० न० 569 तादादी 0.20 हे० ख० न० 694 तादादी 0.0100 हे० ख० न० 695 तादादी 2.25 हे० कुल किता 6 कुल तादादी 6.48 हे० वाके रोही मौजा रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि ही विवादित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालयवाला में खाता विभाजन हेतु दावा पेश किया जिसकी अपील आर.ए.ए. बीकानेर में की गई जिसमें अपील न्यायालय ने गुणदोष व अच्छी में से अच्छी व बुरी मेसे बुरी के आधार पर अपील माननीय न्यायालय को रिमाण्ड की है जिसकी पत्रावली अभी तक न्यायालयवाला को प्राप्त नहीं हुई है इसके बावजूद बिना खाता विभाजित हुए अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि पर मकान का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसके लिए काम शुरू भी कर चुके हैं तथा सामान आदि डलवा लिए हैं जिस कारण जब तक खाता विभाजन नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई मकान आदि का निर्माण कार्य न करे ताकि प्रार्थीगण व गौण प्रतिवादीगण को उनके हक से वंचित न होना पड़े. जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है तथा जब तक खाता विभाजन नहीं हो जाता व भूमि का कृषि भूमि से आवासीय कनवर्जन नहीं हो जाता मकान आदि कोई निर्माण न करे, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय आशय की जारी की गई कि आगामी तारीख पेशी तक रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने बाबत जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC दौराने विचारण

इस आशय को पेश किया कि विवादित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण ने जमीन में कुआ से पाईप लाईन डालकर पानी का कनेक्शन ले रखा है जिससे ही सिचाई व घरेलू आवश्यकता का पानी उपलब्ध होता है। अत पाईप लाईन विवादित कृषि भूमि में से है जो पानी के दबाव से टूट गई जिसे अप्रार्थीगण ठीक नही करने दे रहे है जिस कारण प्रार्थीगण को पीने के पानी व सिंचाई के अभाव में फसल काश्त नही कर पा रहे है इसलिए न्यायहित में पानी के उक्त कनेक्शन की पाईप लाईन को ठीक करने की अनुमति चाही। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया व प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत गलत व भ्रामक तथ्यों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को तय किया जाना आवश्यक है।

(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त (3) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त

प्रथम दृष्टया मामला - निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सह खातेदार है। यद्यपि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.7.18 द्वारा अपास्त कर दिया है जिससे इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित प्रारम्भिक डिक्री अस्तीत्व में नही है परन्तु अप्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि में सह खातेदार होने के तथ्यों को प्रार्थीगण ने भी अस्वीकार नही किया है तथा एक सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि में 50 वें हिस्से तक की भूमि में आवासीय मकान निर्माण की अनुमति स्वयं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दी गई है तथा एक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग उसमें विकास करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन रोका जाना न्यायसंगत नही है। अप्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में डी. एन. जे. 2015 पेज 18 व आर. आर. डी. 1988 पेज 316 व डी. एन. जे. 2017 (1) पेज 45 व 15। न्यायिक विनिश्चय पेश किये है। न्यायिक विनिश्चयों के ससम्मान विवेचन से न्यायालय के इस निश्चय की पुष्टि होती है। इसी क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र भी उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपने हिस्से में निर्माण या विकास करने से रोकने का कोई आधार प्रस्तुत

करने में असफल रहे हैं तथापि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करने के आधार पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अत: यह बिन्दु धारा 212 R.T.Act. की हद तक प्रथम दृष्टया साबित नहीं है जिस कारण यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है व धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त व क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त चूंकि दोनो बिन्दु परस्पर आश्रित है जिसकारण दोनो बिन्दुओं पर सामूहिक तौर पर विवेचन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु को तय करते समय इस न्यायालय का निष्कर्ष रहा है कि अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सह खातेदार रहे हैं तथा यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अपने हिस्से की भूमि में आवासीय निर्माण या अन्य कोई विकास कार्य करने से रोका जाता है तो उससे अप्रार्थीगण को ही असुविधा होने की प्रबल संभावना है तथा निर्माण कार्य के अभाव में अप्रार्थीगण अपने जायज उपयोग उपभोग से वंचित होंगे जिसके स्वभाविक तौर पर अप्रार्थीगण जो सह खातेदार है, को आर्थिक व मानसिक क्षति भी कारित होगी इसके विपरीत प्रार्थीगण ने प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण उनकी हक हिस्सा की उपयोग उपभोग की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे है जिससे उन्हे किसी प्रकार की असुविधा व क्षति कारित हो रही हो। उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाये जाते हैं। अत: दोनो बिन्दु इसी अनुसार तय किये जाते हैं।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त व क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाया जाने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थनापत्र साबित पाया जाने पर स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में स्थित प्रार्थीगण की क्षतिग्रस्त पानी सप्लाई लाईन की मरम्मत आदि किये जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।